भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 78

27 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

78 श्री संदोष कुमार पीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के अंतर्गत संस्वीकृत, पूर्ण किये गए और अधिग्रहित आवासों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित, निर्गत और प्रयुक्त की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने संस्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब की पहचान की है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में दिनांक 27.07.2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, मंत्रालय ने इस योजना में बदलाव किया है तथा देश-भर के शहरी क्षेत्रों में 01.09.2024 से कार्यान्वयन के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख सहित कुल 127.68 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 13.07.2026 की स्थिति के अनुसार 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है तथा 99.07 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिनमें से 96.73 लाख आवासों को देश-भर में लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। केंद्रीय सहायता के रूप में कुल 2.12 लाख करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है, जिनमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर 1.81 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, पूर्ण तथा लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों के साथ-साथ स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-I और II में दिया गया है। पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों में से 21.26 लाख लाभार्थी अनुसूचित जाति (एससी), 5.94 लाख अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा 49.62 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित हैं। कुल लाभार्थियों में 22.70 लाख अल्पसंख्यक हैं तथा 1 करोड़ से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर हैं अथवा परिवार के पुरुष सदस्य के साथ उनके संयुक्त स्वामित्व में हैं।

आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके कार्यान्वयन फ्रेमवर्क, परियोजनाओं की विशेषताओं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) जहाँ लागू हो, के आधार पर भिन्न-भिन्न होती

है। आवासों के निर्माण की समय-सीमा अनेक कारकों, जैसे विवाद रहित भूमि की उपलब्धता, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा धनराशि की व्यवस्था, राज्यांश की उपलब्धता तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मंत्रालय इन योजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्षेत्रीय दौरों तथा अन्य निगरानी तंत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे केंद्रीय सहायता की आगामी किस्तें जारी किए जाने के लिए अपेक्षित अनुपालनों को समय पर प्रस्तुत करें, धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करें, निर्माण कार्य की प्रगति की प्रभावी निगरानी करें तथा स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर उन्हें पात्र लाभार्थियों को सौंपना सुनिश्चित करें।

पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित हैं और सरकार ने इनके अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवश्यक विवरणों सहित आवेदन करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय योजना के संचालन दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं तथा लाभार्थियों की सूची का चयन/जाँच भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए योजना के संचालन दिशा-निर्देश तथा एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं। मांग सर्वेक्षण तथा लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके उपरांत केंद्रीय सहायता जारी करने के विचारार्थ उन्हें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेजा जाता है।

दिनांक 27.07.2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवास (संख्या)			पूर्ण आवास (संख्या)*			सौंपे गए आवास (संख्या)**		
		2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	1	-	-	187	-	-	1
2	आंध्र प्रदेश	50,144	31,252	17,254	2,18,499	96,415	83,578	2,79,114	1,17,943	79,126
3	अरुणाचल प्रदेश	-	5,165	1,054	1,498	641	763	1,498	961	763
4	असम	13,542	-	16,865	19,542	24,134	22,526	19,542	24,134	22,526
5	बिहार	12,993	98,921	53,187	11,114	59,464	24,283	11,114	59,413	24,283
6	चंडीगढ़	-	-	24	-	-	24	-	-	24
7	छत्तीसगढ़	3,515	-	53,388	43,385	34,720	10,100	37,739	38,332	14,887
8	दिल्ली	-	-	2,862	-	-	2,862	-	-	2,862
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	-	-	575	469	270	696	101	1,171	907
10	गोवा	-	-	30	-	1	31	-	1	31
11	गुजरात	11,496	-	1,30,162	28,953	39,297	44,402	38,297	44,114	41,118
12	हरियाणा	-	15,256	3,191	3,677	2,937	3,818	3,677	2,921	3,818
13	हिमाचल प्रदेश	355	-	1,389	1,003	1,075	859	951	1,109	859
14	जम्मू और कश्मीर	3,677	1,272	2,126	3,626	9,127	4,705	3,626	9,127	4,705
15	झारखंड	-	-	14,174	17,127	17,644	10,821	16,035	17,251	11,331
16	कर्नाटक	15,391	-	938	30,307	51,987	14,548	15,012	52,712	21,194
17	केरल	7,752	-	238	7,349	12,692	8,683	7,508	12,748	8,681

18	लद्दाख	-	-	151	139	89	117	139	89	117
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-			-	-	-
20	मध्य प्रदेश	9,502	-	65,988	1,11,350	88,221	46,971	1,10,375	90,610	46,977
21	महाराष्ट्र	27,114	-	1,67,856	38,022	1,31,429	86,977	43,510	1,54,839	88,692
22	मणिपुर	-	-	3,528	2,934	3,085	6,644	2,934	3,085	6,644
23	मेघालय	-	-	2,314	144	678	1,094	144	678	1,094
24	मिजोरम	-	-	466	1,927	16,571	8,977	1,927	16,571	8,977
25	नागालैंड	-	-	1,327	7,344	9,207	1,631	7,344	9,207	1,631
26	ओडिशा	18,769	5,304	22,172	12,785	18,989	11,182	11,538	19,522	9,893
27	पुडुचेरी	1,810	446	3,301	1,270	1,628	1,675	1,270	1,628	1,676
28	पंजाब	-	-	37,129	8,926	15,272	6,740	9,050	15,022	6,740
29	राजस्थान	35,325	23,799	51,235	10,253	42,698	45,330	12,267	42,338	46,830
30	सिक्किम	-	-	-	-	-	19	-	-	19
31	तमिलनाडु	10,178	-	18,085	40,285	42,890	19,925	42,098	48,291	22,806
32	तेलंगाना	-	1,13,681	18,989	1,504	289	5,911	10,055	55,288	23,639
33	त्रिपुरा	4,790	-	2,423	8,616	5,533	5,527	8,689	5,533	5,527
34	उत्तर प्रदेश	1,51,804	55,624	3,18,164	1,99,690	2,32,572	31,583	1,85,729	2,27,472	31,445
35	उत्तराखंड	2,941	-	3,212	4,343	6,901	13,043	4,311	5,392	6,158
36	पश्चिम बंगाल	-	-	10,981	50,318	64,814	68,938	50,222	64,670	68,368
कुल		3.81 लाख	3.51 लाख	10.25 लाख	8.86 लाख	10.31 लाख	5.95 लाख	9.36 लाख	11.42 लाख	6.14 लाख

* इसमें वर्ष में निर्मित आवास शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया था।

** इसमें वर्ष में सौंपे गए आवास शामिल हैं, जो पिछले वर्षों में पूरे हुए थे।

दिनांक 27.07.2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)			जारी की गई/उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)		
		2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.00	-	-	0.79
2	आंध्र प्रदेश	752.16	468.78	227.32	5,154.59	-	47.52
3	अरुणाचल प्रदेश	-	116.21	23.72	14.84	5.00	54.37
4	असम	203.13	-	378.37	395.86	272.21	273.47
5	बिहार	194.90	1,483.82	795.71	597.11	169.50	979.97
6	चंडीगढ़	-	-	0.08	-	-	0.08
7	छत्तीसगढ़	52.73	-	790.31	483.13	177.79	130.81
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	-	-	1.99	-	4.29	5.96
8	दिल्ली	-	-	10.10	-	-	10.10
10	गोवा	-	-	0.11	-	-	0.11
11	गुजरात	172.44	-	1,633.72	655.81	124.46	442.83
12	हरियाणा	-	228.84	35.99	123.35	-	3.67
13	हिमाचल प्रदेश	5.33	-	30.72	9.61	9.64	6.79
14	जम्मू और कश्मीर	55.16	28.62	47.72	39.97	28.04	1.06
15	झारखंड	-	-	211.52	158.44	1.45	90.15
16	कर्नाटक	230.87	-	2.91	618.02	6.17	304.99
17	केरल	116.28	-	0.77	225.48	83.67	69.26

18	लद्दाख	-	-	3.78	1.85	1.18	1.51
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	142.53	-	896.24	1,280.27	270.31	300.47
21	महाराष्ट्र	406.71	-	2,146.46	1,542.86	313.56	317.53
22	मणिपुर	-	-	79.32	35.95	52.78	31.80
23	मेघालय	-	-	52.03	13.56	5.46	7.23
24	मिजोरम	-	-	10.49	43.36	65.19	44.15
25	नागालैंड	-	-	29.86	86.41	24.96	25.23
26	ओडिशा	281.54	79.56	331.23	293.44	26.50	128.44
27	पुडुचेरी	27.15	10.04	73.74	31.11	9.49	19.34
28	पंजाब	-	-	534.89	179.28	47.68	54.30
29	राजस्थान	529.88	356.99	661.34	683.20	223.52	543.89
30	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
31	तमिलनाडु	152.67	-	249.90	877.57	222.05	361.56
32	तेलंगाना	-	1,705.22	275.67	485.00	18.70	269.55
33	त्रिपुरा	71.85	-	54.19	92.90	48.42	51.97
34	उत्तर प्रदेश	2,277.06	834.36	4,706.22	4,451.37	1,073.95	1,857.31
35	उत्तराखंड	44.12	-	55.30	130.84	62.13	87.71
36	पश्चिम बंगाल	-	-	116.77	945.32	515.70	643.98
कुल*		5,716	5,312	14,468	19,650	3,864	7,168

**पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के तहत 123.52 करोड़ रुपये को छोड़कर।*